



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270086
CG-DL-E-12022026-270086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947

No. 118]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 124(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 31 जनवरी, 2026 को प्रकाशित, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 77(अ), दिनांक 30 जनवरी, 2026 के हिन्दी पाठ में,

(क) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 1 में, “3. अभिसमय के अधीन गैर- सहमति वाले अधिकार या हित -(1)” के स्थान पर “3. अभिसमय के अधीन गैर- सहमति वाले अधिकार या हित-” पढ़ा जाए;

(ख) पृष्ठ 6 पर, परिशिष्ट- ख में,—

(i) पंक्ति 10 में, “[नियम 2 (i) (ब) देखें]” के स्थान पर “[नियम 2 (1) (झ) देखें]” पढ़ा जाए;

(ii) पंक्ति 15 में, “खंड (ङ)” के स्थान पर “खंड (घ)” पढ़ा जाए।

[फा. सं. एवी-11012/4/2020-ए-एमओसीए-भाग (2)]

असंगवा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th February, 2026

G.S.R. 124(E).— In the english version of the Notification of the Government of India, Ministry of Civil Aviation, G.S.R. 77(E), dated the 30th January, 2026, published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 31st January, 2026,

(a) at page 13, line 38 for “**3. Non-consensual rights or interests under the Convention. — (1)**” read “**3. Non-consensual rights or interests under the Convention. —**”.

(b) at page 16 .-

- (i) in line 10, for “[See rule 2(i)(w)]” read “[See rule 2(1)(i)]”;
- (ii) in line 15, for “clause (e)” read “clause (d)”.

[F. No. AV-11012/4/2020-A-MOCA-Part(2)]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.